समक्ष न्यायालय श्रीमान कमीश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर
(एकल मध्यस्थ) मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक– विविध /2995/I/15 /2015

आवेदक: सुरेश कुमार गुप्ता वल्द स्व. श्री मोहनलाल गुप्ता, निवासी– नया बस स्टैण्ड, नदीपार कटनी म.प्र.

विरुद्ध

अनावेदक: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जबलपुर (म.प्र.)

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता
26 AUG 2015
अधीक्षक कमिश्नर, जबलपुर संभाग

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम 1997

आवेदक सविनय निवेदन करता है किः–

1. यह कि आवेदक की हक एवं स्वामित्व की भूमि मौजा ग्राम– पुरैनी, प.ह.नं.40, तह. व जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं.68/1 रकवा 0.14 हेक्टेयर अर्जित की गई है।
2. यह कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3–ए, की उपधारा–1 के अधीन जारी अभिसूचना के आधार पर फोरलेन में उन्नयन फलस्वरुप प्रभावित भूमि एवं संरचनाओं का मुआवजा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू–अर्जन अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र.1जी/अ–82/2011–12 में पारित अवार्ड दिनांक 26.04.2013 को भूमि अधिग्रहित किया गया है।
3. यह कि, ग्राम पुरैनी स्थित भूमि खसरा नं.68/1 रकवा 0.14 भूमि को अधिग्रहित किये जाने की सूचना प्रेषित की गई जो आवेदक को दिनांक 16.09.2013 को प्राप्त हुई सूचना के माध्यम से रु. 7,70,000/– की मुआवजा राशि निर्धारण किया जाना दर्शित है। उक्त मुआवजा निर्धारण किस आधार पर किया गया है कोई विवरण दर्शित नहीं है, बिना आवेदक की सुनवाई का अवसर दिये मनमाने तौर पर

वि.प्र.क्र. 2994-I/13 कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ता...
23-9-15	(आवेदक पक्ष की ओर से कोई उप. नहीं। ~~प्रकरण~~ आमदी पर तर्क हेतु। दिनांक 24-9-15 जबलपुर सदस्य	
24-9-15	(आवेदक अधिवक्ता श्री उपस्थित हुए। यह प्रकरण अपर आयुक्त संभाग जबलपुर का था जो मूलवत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः मूल नस्ती विधिवत अपर आयुक्त संभाग जबलपुर की ओर वापिस किया जाता है। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। सदस्य	मूल ... प्रेषित

शाक्षमुवा—320—फॉर्म्स—21-9-12—ई0 प्रपत्र.